# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –10 / 2018 (आव.व.अधि)

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक , कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा।

–प्रार्थी

बनाम

मैसर्स कैफे रिदम, लैण्डमार्क सिटी कुन्हाडी, कोटा श्री देशराज सिंह पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह ।

–अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए**
**आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

## *निर्णय*

**दिनांक– 05.11.2019**

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अरविन्द आचार्य, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक / एफ 17(2) खा.वि. / न्याय / 2000 जयपुर दिनांक 19.2.2018 की अनुपालना बाबत दल में सम्मिलित सदस्य श्रीमति संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, श्री अरविन्द आचार्य, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षण जांच हेतु मैसर्स कैफे रिदम, लैण्डमार्क सिटी कुन्हाडी, कोटा के यहां पहुंचे । मौके पर मालिक श्री देशराज सिंह पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह उपस्थित मिले । जहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण की जांच की गई । वक्त जांच इस प्रकार स्थिति पाई गई कि मैसर्स कैफे रिदम, लैण्डमार्क सिटी कुन्हाडी, कोटा पर श्री देशराज सिंह पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया । मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर्स का उपयोग कर फास्ट फूड निमार्ण कर कीमतन बिक्री में किया जा रहा था ।
2. इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध संग्रहण करने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) आदि धाराओं का उल्लंघन पाये जाने से मौके से जप्त किया जाकर मौके पर ही उपस्थित श्री मनोज मेघवाल पुत्र श्री बाबूलाल मेघवाल निवासी नान्ता रोड, कुन्हाडी कोटा मैसर्स सुलभ गैस एजेन्सी, कोटा को सुपुर्दगी में शर्तो के अनुसार दिया गया । सिलेण्डर्स का विवरण निम्नानुसार है–

| क.सं. | तेल कम्पनी का नाम | गैस सिलेण्डर्स के एस.आर.नम्बर | टेयर वेट (किलोग्राम) | ग्रॉस वेट (किलोग्राम) | नेट वेट (किलोग्राम) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOCL | 17390 | 15.7 kg | 27.0 kg | 11.3 kg |
| 2 | IOCL | 7521 | 16.0 kg | 16.3 kg | 0.3 kg |

इस प्रकार उक्त मैसर्स कैफे रिदम, लैण्डमार्क सिटी कुन्हाडी, कोटा श्री देशराज सिंह पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

Scanned by CamScanner

अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ए),(बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत अधिग्रहित 02 (दौ) घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर, को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए(2) के तहत सिलेण्डरों का अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ, नोटिस पर थानाधिकारी कुन्हाडी से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि –"दिये गये पते पर तलाश किया तो वहां पर ना तो इस नाम की दुकान मिली ओर ना ही कोई व्यक्ति मिला, आस पास वालों से पूछताछ की तो बताया कि पहले यहां दुकान करते थे लेकिन अब खाली करके यहां से चले गये"। चूंकि प्रार्थना पत्र में दिये पते पर अप्रार्थी के नहीं मिलने से नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने से प्रकरण में रसद विभाग के प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 27.2.2019 को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक/एफ 17(2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 9.2.2018 की अनुपालना गठित जांच दल में सम्मिलित सदस्य श्रीमति संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, श्री अरविन्द आचार्य, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षण जांच हेतु मैसर्स कैफे रिदम, लैण्डमार्क सिटी कुन्हाडी, कोटा के यहां पहुंचे । मौके पर मालिक श्री देशराज सिंह पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह उपस्थित मिले । जहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण की जांच की गई । वक्त जांच इस प्रकार स्थिति पाई गई कि मैसर्स कैफे रिदम, लैण्डमार्क सिटी कुन्हाडी, कोटा पर श्री देशराज सिंह पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया । मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर्स का उपयोग कर फास्ट फूड निमार्ण कर कीमतन बिकी में किया जा रहा था । इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध संग्रहण करने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) आदि धाराओं का उल्लंघन है ।

5. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 02 (दौ) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner